राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 109 / 2024

कालूराम मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2024
आदेश की दिनांक : 23.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री खुशबू कोठारी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना, गंगापुर सिटी में कार्यरत है, परंतु वर्तमान में अपीलार्थी रिजर्व पुलिस लाईन, सवाई माधोपुर में निलंबनाधीन है। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 486 / 2022 दिनांक 24.12.2022 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7(1)(बी) एवं 120 आईपीसी के अंतर्गत पुलिस थाना एसीबी, जयपुर द्वारा दर्ज की गई और अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी आदेश दिनांक 27.12.2022 के द्वारा निलंबित किया गया तथा एसीबी भरतपुर न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2023 के द्वारा जमानत पर रिहा किया गया और अपीलार्थी वर्तमान में निलंबनाधीन है। अपीलार्थी ने विभाग में बहाल किए जाने के संबंध में दिनांक 15.01.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और विभाग द्वारा रिव्यू कमेटी दिनांक 14.08.2023 को आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के निलंबन

अवधि को बढाया गया। अपीलार्थी के उक्त अनुरोध पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में पुनः पदस्थापित किया जावें और नियम, 1951 के नियम 54(2) के अंतर्गत समस्त भत्ते एवं शेष राशि का भुगतान किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य